Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी राहुल उर्फ मूला को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल उर्फ मूला पुत्र सुभाष निवासी बडागाँव थाना परीक्षतगढ जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 225/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 25.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राहुल उर्फ मूलि को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री इन्द्रपाल सिंह एडीजीसी

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

नि0 कृष्ण मुरारी दोहरे विवेचक

का0 सुनील कुमार कोर्टपैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी बी.के. उर्फ बिरेन्द्र को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त बी. के. उर्फ बिरेन्द्र पुत्र सच्चेराम उर्फ श्यामलाल निवासी गनौली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध थाना चाँदीनगर पर मु0अ0सं0 108/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 25.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बी.के. उर्फ बिरेन्द्र को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री इन्द्रपाल सिंह एडीजीसी

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

नि0 नोवेन्द्र सिरोही विवेचक

है0का0 मुकेश कुमार कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 25.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 647/26 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम से सम्बधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 647/26 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम से सम्बधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनस पुत्र इस्लाम मोहल्ला देशराज पुराना कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी

- 01 मोबाइल फोन एप्पल कम्पनी (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 नीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2.है0का0 435 आलोक थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3.का0 53 देशराज थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर सेल टीम द्वारा एक व्यक्ति के खाते से ऑनलाइन धोखाधडी के माध्यम से निकाली गई 2,10,000/- रूपये की सम्पूर्ण धनराशि वापस करायी गई–

1-पीड़ित मोहसीन मलिक पुत्र रहीसुद्दीन नि0 कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आँनलाइन 2,10,000/- रुपये की धोखाधड़ी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध मे आवेदक ने NCRP पोर्टल पर आँनलाइन शिकायत दर्ज कराई ,जिसका ACK नं0 33107260179235 है। शिकायत प्राप्त होने पर थाना खेकडा साइबर सेल टीम प्रभारी उ0नि0 श्री नितिन कुमार द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडित के बैंक खाते से आँनलाइन धोखाधडी की सम्पूर्ण धनराशि 2,10,000/- रुपयों को वापस कराया गया।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना खेकड़ा	33107260179235	2,10,000/-

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत **दिनांक 25.09.2026**

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 683/26 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 बैटरी बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.09.2026 को थाना बड़ौत पर वादी श्री हवलदार अब्दुल कय्यूम पुत्र नसरूद्दीन निवासी मौ0 पठानकोट कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अन्सार उर्फ लीलू पुत्र निसार कबाड़ी निवासी मौ0 पठानकोट रामबीर कोटे वाले के पास बड़का रोड कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा आवेदक की गाड़ी रजि0 नं0 UP-17-BT-5397 में रखे 48300/- रुपये व बैटरी चोरी कर ली है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 683/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 683/26 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस.का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 बैटरी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बड़ौत पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अन्सार उर्फ लीलू पुत्र निसार कबाडी निवासी मौ0 पठानकोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 01 बैटरी एमरोन कम्पनी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार चौहान थाना बड़ौत जनपद बागपत।
2-है0का0 750 सुनील कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3-रि0का0 449 सौरभ कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 25.09.2026**

थाना बडौत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 930 रूपये, 03 सट्टा पर्चा, 01 डायरी व 01 पेन बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सटटा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईबाडी करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 930 रूपये, 03 सट्टा पर्चा डायरी व 01 पेन बरामद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आदेश पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 930 रूपये, 03 सट्टा पर्चा, 01 डायरी व पेन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री संदीप राजपूत थाना बडौत जनपद बागपत।
2.है0का0 58 बिजेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत।
3.का0 337 शिवम थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली   दिनाँक 25.09.2026

थाना बिनौली में दाखिल 16 एमवीएक्ट के वाहनों (कीमत 03 लाख 10 हजार) की नीलामी के सम्बन्ध में-

कार्यवाही-

दिनाँक 25.09.2026 को माननीय न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना बिनौली पर दाखिल 16 एमवीएक्ट के वाहनों की नीलामी क्षेत्राधिकारी नगर, नायब तहसीलदार बागपत, प्रभारी निरीक्षक थाना बिनौली की उपस्थिति में की गई।

उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के कबाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 16 एमवीएक्ट वाहनों (कुल कीमत 03 लाख 10 हजार रुपये) की नीलामी की गई।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 25.09.2026

थाना बिनौली पुलिस ने 12 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 12 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1.मोनू पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।
2.मनोज पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।
3.रोजूद्दीन उर्प रोजू उर्फ डूडू पुत्र रसीश निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत।
4.अकुंर पुत्र श्रीनिवास निवासी ग्राम दादरी थाना बिनौली जनपद बागपत।
5.नीरज पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत।
6.खालिद पुत्र यामीन निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत।
7.सादिक पुत्र आरिफ निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत।
8.पप्पू पुत्र नत्थु निवासी ग्राम बाण गंगा थाना बिनौली जनपद बागपत।
9.भोलू पहलवान उर्फ सूरज पुत्र बूलचन्द निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत।
10.कृष्णपाल पुत्र ब्रहमदास निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत।
11.अमित पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत।

12.भीरू उर्फ कुलदीप पुत्र मोहनपाल निवासी आरिफपुर खेडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
2.उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
3.उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
4.का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
5.का0 951 पीताम्बर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
6.रि0का0 263 यतेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
7.रि0का0 400 हरीश रावत थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनाँक 25.09.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 92/2026 धारा 103(1),238(A),3(5), 123 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को PCR पर लेकर उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार व 01 मोटरसाइकिल (सम्बंधित मृतक इसरार) को किया बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.07.26 को थाना बिनौली पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि वादिया का भाई अंकित पुत्र मुकेश उम्र करीब 27 वर्ष व इसरार पुत्र रिडकू दिनांक 25.07.26 की दोपहर 12.00 बजे इसरार उपरोक्त के साथ उसकी मो0सा0 जिसका न0 UP17X7326 से घर से बिना बताए कहीं चले गये हैं। इस सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 92/26 धारा 140(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा दिनांक 13.08.26 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त उज्ज्वल पुत्र मनोज निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदीनगर बागपत को गिरफ्तार करते हुए निशांदेही पर दोनों गुमशुदा 1. अंकित पुत्र मुकेश व 2. इसरार पुत्र रिडकू का शव ग्राम लहचौडा के गणेश मन्दिर परिसर से बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की गयी व मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(3) बीएनएस का लोप कर धारा 103(1)/238ए/395) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 92/2026 धारा 103(1)/238(A)/3(5)/123 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त नरेश कुमार उर्फ नरेशनाथ को माननीय न्यायालय से PCR पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 कार स्विफ्ट डिजायर रजि0 नं0 HR 21Q 7541 व 01 मोटरसाइकिल स्पलेन्डर रजि नं0 UP17X7326 (सम्बंधित मृतक इसरार) को बरामद किया गया है।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी कराने वाले अभियुक्त का नाम व पता-

नरेश कुमार उर्फ नरेशनाथ पुत्र बाबूराम उर्फ अभयनाथ स्थायी निवासी पच्चा वाला कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर राज्य उत्तराखण्ड हाल पता जोन उर्फ सुख पुत्र मीन शर्मा का मकान फौजी कालौनी कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर राज्य उत्तराखण्ड उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 01 कार स्विफ्ट डिजायर रजि0 नं0 HR 21Q 7541 (घटना में प्रयुक्त)
- 01 मोटरसाईकिल स्पलेन्डर रजि नं0 UP17X7326 (मृतक इसरार की)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 श्री राकेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2. अपराध निरीक्षक श्री रामचन्द्र सिह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
3. व0उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
4. उ0नि0 श्री दिग्विजय सिह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
5. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
6. उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
7.है0का0 295 नरेन्द्र गौड थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
8. है0का0 490 आशीष कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
9. का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
10.का0 209 मनीष बैसोया थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
11. रि0का0 158 अंशुल गुधैनियां थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
12. म0रि0का0 668 जोनी भडाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
13.रि0म0का0 689 अनुष्का ग्रेवाल थाना चांदीनगर जनपद बागपत।